प्रेषक,

मदन मोहन
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 जुलाई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगवीर पुत्र श्री सरनामी, निवासी जनपद-आगरा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक कारागार (मु0) के पत्र संख्या-14561/प्रो0अनु0(2)249/2023(बैठक दिनांक-01.05.2023), दिनांक 04.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगवीर पुत्र श्री सरनामी, ग्राम-बुर्ज पैंत, थाना-खन्दौली, जनपद-आगरा का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 08.05.2003 को अपरान्ह 02:00 बजे वादी लाखन सिंह अपने पिता कारे व काका विरम सिंह के साथ वार्ड में मौजूद थे। इसी दौरान बदी अपने 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ गोलिया चलाकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी और 05 व्यक्तियों को घायल कर दिया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-529/03 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 307/149,302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, आगरा के आदेश दिनांक 01.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.01.2008 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 03.08.2009 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.03.2023 तक 19 वर्ष 10 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 08 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 24.03.2023 तक 45 वर्ष 02 माह है। अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- सलाहकार समिति का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 06.05.2003 को अपरान्ह 02:00 बजे वादी लाखन सिंह अपने पिता कारे व काका विरम सिंह के बाडे में मौजूद थे। इसी दौरान बंदी द्वारा अपने 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 03 व्यक्तियों हत्या कर दी और 05 व्यक्तियों को घायल कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट व अपर पुलिस आयुक्त द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जगवीर पुत्र श्री सरनामी को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगवीर (बन्दी संख्या-15276) पुत्र श्री सरनामी, निवासी जनपद-आगरा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-456/2023/1530(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।